के०के० चौधरी
आई०ए०एस०
कुलसचिव

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ– 226021
दूरभाष: 0522–2732193
फैक्स: 0522–2732189

पत्रांक – ए०के०टी०यू० / कुस०का० / सं०वि० / 2016 / 6726–7347
दिनांक: 07–06–2016

College Code 496

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

[illegible] Engineering College, Meerut

[illegible] GREEN PARK, MAWANA ROAD, MEERUT

विषय: [illegible] 2016–17 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

[illegible] विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा [illegible] गए अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में सन्दर्भ संख्या [illegible]–2016 [illegible]/2015 दिनांक 03.06.2016 में निर्गत शासनादेश के अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम :–

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	Intake Kept in abeyance	Affiliation Intake Approved
B.TECH	CIVIL ENGG.	Shift I	60	9	51
B.TECH	COMPUTER SC. & ENGG	Shift I	60	9	51
B.TECH	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	Shift I	60	9	51
B.TECH	MECHANICAL ENGG	Shift I	60	9	51

[illegible] के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु विश्वविद्यालय [illegible] सम्बद्धता की [illegible] स्वीकृति प्रदान की जाती है।

[illegible] अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, [illegible] सुविधाएं [illegible] हेतु निर्धारित पठन–पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा [illegible] के निरीक्षण [illegible] द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था [illegible] सम्बद्धता [illegible] निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

[illegible] द्वारा [illegible] के साथ–साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।

3. [illegible] एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ [illegible] के द्वारा [illegible] संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित [illegible] ए.आई.सी.टी.ई., पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय [illegible] सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

[illegible] उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में [illegible] दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क नियमन समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही [illegible] शिक्षण [illegible] से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना संस्था समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता [illegible] करने की कार्यवाही की जायेगी।

[illegible] के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी [illegible] संस्था में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता [illegible] निरस्त समझी जायेगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

[illegible] प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय–8 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन [illegible] अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

[illegible] 2016 [illegible] नियामक संस्थाओं द्वारा दी अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित [illegible] शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित [illegible] प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित [illegible] की नियुक्ति [illegible] है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना/विसंगति पायी जाती है तो [illegible] अस्थायी [illegible] स्वत: निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

[illegible] यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन–माह के अन्दर रिक्त पद [illegible] की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य प्रेषित करायें। (अध्याय 6.15)

[illegible] के अनुसार संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को [illegible] सूचित करें। (अध्याय [illegible])

[illegible] शिक्षक एवं शिक्षणेतर स्टाफ को वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय 6 25बी)

[illegible] एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी [illegible] उपलब्ध करायें। (अध्याय [illegible])

[illegible] संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराना [illegible] करें। (अध्याय 6 [illegible])

[illegible] द्वारा छात्रों से लिए गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

[illegible] अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह [illegible] स्वतः निरस्त हो जायेगा।

[illegible] फार्मेसी तथा आर्किटेक्चर के समस्त विधा के समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था–फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (जो लागू) का सत्र 2016–17 हेतु मान्यता का आदेश प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के [illegible] विश्वविद्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अपेक्षित मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः [illegible] जायेगी तथा [illegible] सत्र 2016–17 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश नहीं दे सकेगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व [illegible] का होगा।

[illegible] किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित [illegible] सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

[illegible] विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की [illegible] नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगी।

[illegible] शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण), [illegible] विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

[illegible] शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन [illegible] सुनिश्चित किया जाये। यदि संस्था द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की [illegible] की जायेगी।

[illegible] द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय–समय पर फीस निर्धारण [illegible] की गई [illegible] अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त [illegible] Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

[illegible] AMS (Academic Monitoring system) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2014/ 4414–21 [illegible] का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बाध्यता होगी।

[illegible] विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यो हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा [illegible] से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुसार शिक्षक अथवा शि[illegible] कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से [illegible] प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

[illegible] प्रवेश क्षमता के सापेक्ष अत्याधिक न्यून प्रवेश के सन्दर्भ में जिन संस्थाओं का गत वर्ष पंजीकरण 60 प्रतिशत से [illegible] का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2016–17 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2017–18 हेतु [illegible] पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

[illegible] में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की [illegible] जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(कें0के0 चौधरी)
कुलसचिव

[illegible]
[illegible] निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. [illegible] श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. [illegible] प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. [illegible] अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. [illegible] कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. [illegible]